INDIA NON JUDICIAL

IN-UP02250243988204V

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

Certificate No.	:	IN-UP02250243988204V
Certificate Issued Date	:	31-Aug-2023 04:26 PM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14110804/ MEERUT/ UP-MRT
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP1411080400734398642978V
Purchased by	:	S G COLLEGE OF PHARMACY
Description of Document	:	Article 4 Affidavit
Property Description	:	Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	S G COLLEGE OF PHARMACY
Second Party	:	Not Applicable
Stamp Duty Paid By	:	S G COLLEGE OF PHARMACY
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	100 (One Hundred only)

NOTARIAL NOTARIAL

शपथ पत्र

हम श्रीमती शशीबाला गोस्वामी एवं श्री राम किशोर गिरि क्रमशः अध्यक्ष एवं सचिव सेन्ट गिरि एजुकेशनल वैल्फेयर ट्रस्ट शपथपूर्वक निम्नवत् बयान करते हैं कि:-

1. यह कि हमारे ट्रस्ट द्वारा एस0जी0 कॉलिज ऑफ फार्मेसी, राली रैसना, मेरठ नामक डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना सत्र 2023-24 से किया जाना प्रस्तावित हैं।
2. यह कि हमारे ट्रस्ट के नाम ग्राम राली रैसना में गाटा सं0 36 में 0.3100 हैक्टेयर भूमि है।
3. यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में नहीं चल रहा है और भूमि विवाद रहित है।
4. यह कि उपरोक्त पते पर ट्रस्ट के नाम उपलब्ध भूमि के गाटा सं0 36 में 0.3100 हैक्टेयर पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव ट्रस्ट की बैठक दिनांक 16-01-2021 द्वारा पारित किया गया है।
5. यह कि उपरोक्त भूमि पर ही प्रश्नगत डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान के संचालन हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया गया है।
6. यह कि निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर ट्रस्ट के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्धारित भवनों को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।

ATTESTED

AKHILESH KUMAR
NOTARY MEERUT

Statutory Alert:

7. यह कि इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली के नियमों के अन्तर्गत ही डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।

8. यह कि इस संस्था में फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद् से सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

9. यह कि उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद्, उ0प्र0 लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त कियी अन्य परिषद्/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित/सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान/विद्यालय/महाविद्यालय/आई0टी0आई0 आदि का संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है और न ही भविष्य में कभी किया जायेगा।

10. यह कि संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक क्लास रूम, प्रयोगशालाओं उवं कार्यशालाओं आदि को फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद् के मानकों के अनुसार ही सुसज्जित किया जायेगा।

11. यह कि संस्था के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती ट्रस्ट द्वारा सत्र प्रारंभ के पूर्व कर लिया जायेगा।

12. यह कि शासन/परिषद् द्वारा निर्गत निर्देशों/आदेशों का भलीभांति पालन करूँगा। यदि मेरे संस्थान में किसी भी समय स्थलीय निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद् की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा एवं मुझे मान्य होगा, इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जायेगी।

मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रुप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख/दस्तावेज़ फर्जी, कूटरचित अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते हैं तो मेरे विरुद्ध परिषद् द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी होऊँगा।

NOTARY PUBLIC GOVT. OF INDIA AKHILESH KUMAR MEERUT

ह0 सचिव

ह0 अध्यक्ष

ATTESTED
AKHILESH KUMAR
NOTARY MEERUT